NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रश्न पत्र–3

उच्चतर अंकेक्षण एवं व्यवसायिक नियमन

Advanced Auditing and Professional Ethics

नोट : प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है। शेष में से पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1 (a) G लिमिटेड का 31 मार्च 2013 का आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है संशोधित अनुसूचि VI एवं एन.ए.सी.ए.एस. (NACAS) द्वारा जारी मानक लेखांकन के अनुसार टिप्पणी कीजिए।

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
अंश एवं दायित्व –			
अंश पूँजी	**1**	**XXX**	**XXX**
संचय एवं आधिक्य	**2**	**0**	**0**
कर्मचारी स्कन्ध विकल्प देयता	**3**	**XXX**	**XXX**
वापसी योग्य अंश आवेदन राशि	**4**	**XXX**	**XXX**
गैर चालू दायित्व –			
कर दायित्व (आयकर)	**5**	**XXX**	**XXX**
चालू दायित्व			
व्यापारिक देय –	**6**	**XXX**	**XXX**
कुल योग		**XXXX**	**XXXX**
सम्पत्ति			
गैर चालू सम्पत्ति			
स्थायी सम्पत्ति	**7**	**XXX**	**XXX**
चालू कार्य की लागत (अग्रिम पूँजी)	**8**	**XXX**	**XXX**
चालू सम्पति			
व्यापारिक प्राप्तियॉ	**9**	**XXX**	**XXX**
आर			

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

लाभ हानि खाते का नाम शेष

योग	**XXXX**	**XXXX**

5 अंक

(b) Z लिमिटेड ने 1 अप्रैल. 2012 से अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक नीतियों में परिवर्तन किया जिसके अनुसार कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अवकाश नकदीकरण पर 12 प्रतिशत की दर से पी.एफ. में योगदान दिया जायेगा। अवकाश नकदीकरण नीति के अनुसार कर्मचारी इसका उपयोग कर सकता है या नकद प्राप्त कर सकता है। 31 मार्च 2013 को कम्पनी को अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देनदारी प्राप्त हुई। किन्तु इसमें 12 प्रतिशत पी. एफ.योगदान का मूल्यांकन नहीं था। कम्पनी अंकेक्षक चाहते है कि 12 प्रतिशत पी.एफ. योगदान दिया जाए, किन्तु प्रबन्धन कम्पनी का तर्क है कि जब कर्मचारी अवकाश नकदीकरण प्राप्त करेंगे तो उन्हें योगदान दे दिया जायेगा। कम्पनी ने कहा कि यही तरीका सही है यह पता करना कठिन है कि किसने इसका उपयोग किया है और किसने इसका उपयोग नहीं किया है। टिप्पणी कीजिए। [5]

(c) T लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2012 से निर्माण प्रक्रिया आरम्भ की। कम्पनी के मुख्य उत्पादन के साथ उपोत्पाद (By Product) का भी उत्पादन हो जाता है कम्पनी 31 मार्च 2013 को इसको गैर महत्वपूर्ण मानते हुए इसका कोई मूल्यांकन नहीं करती है। कम्पनी अंकेक्षक का मत है कि उपोत्पाद कम्पनी की रहतिया है अतः इसका मूल्यांकन होना चाहिए और इसको पुस्तकों में दिखाया जाना आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। [5]

(d) K लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2013 तक पाँच सहायक कम्पनी में दीर्घकालीन विनियोग किया गया है तथा इनका मूल्यांकन लागत मूल्य पर है। दो

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

कम्पनी का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है। अन्य तीन सहायक कम्पनी का कार्य अच्छा रहा है जिससे K लिमिटेड को विनियोग का अच्छा प्रतिफल प्राप्त हुआ। K लिमिटेड ने घाटे वाली दोनों कम्पनी के मूल्य में कमी किये बिना उसकी क्षतिपूर्ति तीन अन्य कम्पनी से प्राप्त लाभ में से कर ली। टिप्पणी कीजिए। [5]

उत्तर –

a) संशोधित अनुसुची– VI के आधार पर प्रस्तुति में निम्नांकित त्रुटि पायी गयीः–

i. अंश पूँजी, संचय एवं आधिक्य को चिट्ठा बनाते समय ''अंशधारियों के कोष'' में होना चाहिए जिसे कही नहीं दिखाया गया है। चाहे ये अंश एवं दायित्व का भाग है इसे अंशधारियों के कोष शीर्षक के अर्न्तगत प्रदर्शित किया जाना चाहिए। दिये गये प्रश्न में अंशधारियों का कोष शीर्षक नहीं है।

ii. संचय एवं आधिक्य को शून्य दिखाया गया है जो दी गयी परिस्थिति में सही नहीं है लाभ हानि खाते के डेबिट शेष को आधिक्य शीर्षक के अन्तर्गत नकारात्मक रूप में दिखाया जाना चाहिये। आधिक्य के ऋणात्मक शेष का समायोजन संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अन्तर्गत किये जाना चाहिए। चाहे समायोजन के पश्चात संचय एवं आधिक्य शेष ऋणात्मक हो जाये।

iii. संशोधित अनुसुची VI के अनुसार कर्मचारी स्कन्ध विकल्प देयता को, संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाना चाहिए।

iv. अंश आवेदन वापसी राशि को ''अन्य चालू दायित्व'' के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिये। क्योंकि ये पुर्नभुगतान योग्य है तथा अंश का भाग नहीं है।

v. आस्थगित कर दायित्व (Deferred Tax Liability) को गैर चालू दायित्व में

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

दोनों को चिट्ठे में नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि दायित्व तथा सम्पति के शुद्ध मूल्य को चिट्ठे में दिखाया जाना चाहिए।

vi. गैर चालू सम्पत्ति शीर्षक के अन्तर्गत स्थायी सम्पत्ति निम्न प्रकार वर्गीकृत करना चाहिएः–

a. दृश्य सम्पत्ति (Tangible Assets)

b. अदृश्य सम्पत्ति (Intangible Assets)

c. पूँजी चालू कार्य (Capital Work in progress)

d. विकास हेतु अदृश्य सम्पत्ति (Intangible Assets under development)

e. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पूँजी चालू कार्य (CWIP) को स्थायी सम्पत्ति में दिखाया जाना चाहिए। पूँजी अग्रिम (Capital Advance) की राशि जो पूंजी चालू कार्य में सम्मिलित है को उप शीर्षक दीर्घकालीन ऋण, एवं अग्रिम में दिखाया जाना चाहिए।

vii आस्थगित कर सम्पति को गैर चालू सम्पत्ति में दिखाया जाना चाहिए। यह आस्थगित कर समपति, आस्थगित कर दायित्व के समायोजन के पश्चात् हैं।

b) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट आफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक–15 (AS-15) के पैराग्राफ 11 के अनुसार 'कर्मचारी को देय लाभ' (Employee Benefit's) दिशा निर्देश के अनुसार यदि कर्मचारी को अल्पकालीन लाभ देने की व्यवस्था की गयी है तो उसे दिया जाना चाहिए। कम्पनी द्वारा वास्तविक मूल्यांकन प्राप्त होने के बाद इस पर अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया जाना चाहिए और शेष राशि (दायित्व) को चिट्ठा में दिखाया जाना चाहिए। यहॉ Z लिमिटेड को अवकाश नकदीकरण की गणना करनी चाहिए क्योंकि यह कम्पनी का दायित्व है कि वह अवकाश

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

करे। अतः अंकेक्षण का मत उचित है तथा कम्पनी को पूरा प्रावधान बनाना चाहिए।

c) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं लेखांकन मानक AS2 के अनुसार उत्पाद के साथ होने वाले उपोत्पाद की अलग से मूल्यांकन की व्यवस्था यदि नहीं है तो स्व विवेक के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चुँकि दी गई परिस्थिति मे उपोन्पाद का मुल्य असारवान है अतः उपोत्पाद का मूल्य मुख्य उत्पादन के लागत से घटाया जाना चाहिए। अतः T लिमिटेड को उपोत्पाद के वसूली मूल्य को मुख्य उत्पाद की लागत में से घटाना चाहिए।

d) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट आफ इण्डिया के दिशा निर्देश एवं लेखांकन मानक 13 विनियोग का लेखाकन के अनुसार दीर्घकालीन विनियोग एक अलग प्रकृति एवं महत्व का होता है। प्रत्येक दीर्घकालीन के मूल्य को /अलग विनियोग अलग–अलग मूल्यांकित किया जाना चाहिए। दीर्घकालीन विनियोग को वित्तीय विवरण में वास्तविक लागत पर दिखाया जाना चाहिए तथापि स्थायी रूप से आयी कमी से विनियोग के मुल्य को कम करना चाहिए, अतः उपरोक्त दृष्टिकोण K लिमिटेड द्वारा घाटे की दोनों सहायक कम्पनी की विनियोग लागत तथा इस कमी को प्रत्येक विनियोग हेतु पृथ्क–पृथ्क ज्ञात करना चाहिए कम करके दिखाया जाना चाहिए चाहे सहायक कम्पनी के सम्पूर्ण विनियोग में कोई कमी नही आयी है।

प्रश्न 2 **चार्टड एकाउन्टेंट आफ इण्डिया अधिनियम, 1949 के अनुसार निम्नांकित पर अपने विचार दीजिए।**

a) मि. A चाटर्ड एकाउन्टेंट की प्रैक्टिस करते हैं। अपने ग्राहक के पुस्तकों एवं प्रपत्र को उसके मांगने पर भी वापस नहीं करते हैं जबकि उसके द्वारा उनके

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

b) मि. B चार्टर्ड एकाउन्टेंट के साथ ही एडवोकेट की भी योग्यता रखते हैं उनको बार कॉउन्सिल से वकालत करने की अनुमति प्राप्त है। मि. B अपने विजिटिंग कार्ड छपवाये जिसमें उन्होने चार्टड एकाउन्टेंअ तथा एडवोकेट दोनों पदों को एक साथ दिखाया । [4]

c) मि. C एक सुचीबद्ध कम्पनी के अंकेक्षक है। उन्हें अंकेक्षण के दौरान कुछ ऐसे मूल्यांकन का पता चलता है जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार ठीक नहीं है। क्या जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसकी सूचना कम्पनी पंजीयक (Company Registrar) को दी जानी चाहिए। [4]

d) मि. D एक कम्पनी के अंकेक्षक है। अंकेक्षण के दौरान उन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया तथा समय पर अंकेक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भी प्रस्तुत नहीं किया जो एक वैधानिक आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

[4]

उत्तर

a) एक अंकेक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम की धारा 21 के आधार पर की जा सकती है यदि अंकेक्षक ने अंकेक्षण के दौरान कोई कदाचार किया हो चाहे उसे इसका पश्चाताप ही क्यों न हो।

निम्न परिस्थिति मे चार्टड एकाउन्टेड को कदाचार का दोषी माना जाएगा–

i. न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर जिसमें सजा के रूप में 6 माह से अधिक की जेल न हो।

ii. कॉउन्सिल क`मत के अनुसार कोई भी कार्य जो पेशे एवं ICAI की गरिमा के विपरित हो चाहे पेशेवर कार्य से संबधित हो या नहीं।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

iii. अनुच्छेद 2 के अनुसार यदि किसी अंकेक्षक द्वारा लेखा पुस्तकों एवं प्रपत्रों को नहीं लौटाया गया है तथा पुस्तक न लौटाने का यदि पर्याप्त कारण नहीं है। तो सदस्य कर्तव्य भंग का दोषी माना जायेगा। दी गई परिस्थिति मे मि. A बिना किसी पर्याप्त कारण के ग्राहक की लेखा पुस्तके एवं प्रपत्र नहीं लौटाता है अतः मि. A कर्तव्य भंग के दोषी माने जायेंगे।

b) प्रथम अनुसूचि के भाग 1 के अनुच्छेद 7 में चार्टर्ड एकाउन्टेंट के प्रैक्टिस के सन्दर्भ में किसी भी कदाचार होने पर व्यवस्था दी गयी है।

i. अपनी पेशेवर योग्यता एवं सेवा का विज्ञापन करना।

ii. पेशेवर प्रपत्र पर चार्टड एकाउन्टेड के अतिरिक्त विंजिटिंग कार्ड, लेटर तथा साइन बोर्ड पर जब तक वह योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से प्राप्त न हुई हो एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित नही एवं काउन्सिल द्वारा आज्ञा न दी गई है।

यह उपरोक्त अनुच्छेद विज्ञापन पर रोक लगाता है। सदस्य पर यह रोक भी लगाता है कि वह प्रपत्र जिसमें उसकी पेशेवर योग्यता जनता को प्रदर्शित हो उस पर चार्टड एकाउन्टेड के अलावा कुछ प्रदर्शित नहीं होना चाहिए।

संस्था के सदस्य जो प्रैक्टिस में है तथा योग्य है वे वकील की तरह कार्य कर सकते है परन्तु इस हेतु बार काउन्सिल के आज्ञा कि आवश्यकता है परन्तु वकील के रूप में कार्य करते हुए वे खुद को चार्टड एकाउन्टेड के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। अन्य स्थिति में जब वे चार्टर्ड एकाउंटेड की योग्यता के अनुसार कार्य करे वे चार्टर्ड एकाउन्टेड तथा वकील दोनों योग्यताओं को साथ–साथ प्रदर्शित नहीं कर सकते। मि. B ने अपने विजिटिंग कार्ड में (A C वकील साथ–साथ प्रदर्शित किया अतः उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

c) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम 1949 की अनुसुची द्वितीय के भाग 1 के अनुच्छेद 1 मे जो पेशेवर कदाचार से संबंधित है जिसमें प्रैक्टिसरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट अपने ग्राहक के व्यवसाय से सम्बन्धित जानकारी जो गुप्त है को प्रदर्शित करता है के अनुसार यदि कोई चार्टर्ड एकाउन्टेट अपने ग्राहक की बिना सहमति के उसके व्यवसाय से सम्बन्धित कोई सूचना किसी दूसरे को देता है तो यह व्यवसायिक कदाचार एवं कर्तव्य भंग का दोषी माना जायेगा। परन्तु निम्न परिस्थितियों में ये प्रावधान लागू नहीं होगे।

(1) अगर उपर्युक्त प्रकटीकरण कानून के अन्तर्गत अनिवार्य है।

(2) चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा अपने पेशेवर दायित्व को पुर्ण करते हुए उपयुक्त प्रकटीकरण आवश्यक था।

मि. C ने अपने ग्राहक की सहमति के बिना जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंधन की सूचना निबन्धक कम्पनी के पंजीयक को देता है यह कदाचार की श्रेणी में आता है क्योंकि अंकेक्षक के इस कार्य से ग्राहक को मौद्रिक नुकसान हो सकता है तथा अंकेक्षण द्वारा यह बात सीधे ही कम्पनी के पंजीयक को बता दी गई अन्यथा वह अपने प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख कर सकता था।

d) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम 1949 की अनुसूचि 2 के भाग 1 अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षक की लापरवाही के कारण ग्राहक के व्यवसायिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो अंकेक्षक कदाचार का दोषी माना जायेगा। लेखा पुस्तकों के सही बनाये जाने पर बल दिया जाना चाहिए। अंकेक्षक समय पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न नहीं करता है या समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो वह अनुच्छेद 7 में कदाचार का दोषी माना जायेगा।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

मि. D ने समय के पर अंकेक्ष कार्य पूरा नहीं किया एवं अंकेक्षण रिपोर्ट भी नहीं बनाई अतः इससे कम्पनी अपनी वैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण नही कर पाई मि. D पेशेवर दुराचरण के दोषी माने जायेंगे।

प्रश्न 3

a) Z लिमिटेड के अंकेक्षण के दौरान, अंकेक्षक यह चाहते है कि चालू अंकेक्षण में पुनः आन्तरिक नियंत्रण की जॉच करने के सीान पर उन्हीं उंकेक्षण साक्ष्यों पर विश्वास किया जाये जो पर्व के अंकेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये। अंकेक्षण के सलाहकार के रूप में उन तत्वों को बताइए जो नियंत्रण की जॉच हेतु उपयोग लिये जायेगें। [4]

b) T लिमिटेड की अंकेक्षण कार्य के दौरान, साझेदार के रूप में आप यह चाहते है कि उन बिन्दुओं का वर्णन करे जो कपट के अलावा गलत रूप से वर्णित किये जाते है। गलत वर्णन के स्त्रोत बताइये। [4]

c) H लिमिटेड के अंकेक्षक लेनदारों से स्पष्टीकरण चाहते है किन्तु प्रबन्धन ने ऐसा न करने का अनुरोध किया है क्योंकि कुछ लेनदारों से विवाद है। क्या अंकेक्षक को प्रबन्धन का अनुरोध स्वीकार कर लेना चाहिए। [4]

d) R एण्ड कम्पनी एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के रूप में कार्य करती है। पिछले पाँच वर्ष से वह अपने ग्राहक के कार्य को निर्धारित शर्तो पर कार्य कर रही है किन्तु समय के साथ बदली स्थिति में वह कुछ शर्तों में परिवर्तन चाहती है। आप उन परिस्थितियों का वर्णन किजिए जिनमें नियुक्ति का शर्तो में परिवर्तन करना आवश्यक है। [4]

उत्तर

a) अंकेक्षण मानक 330 ''निर्धारित जोखिम के प्रति अंकेक्षण का अन्तर या

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

गये साक्ष्य प्रभावित होते है तथा ये साक्ष्य अब लगातार भरोसे हेतु पर्याप्त नहीं होते।

अंकेक्षक को अपने व्यवसायिक कर्तव्यों एवं निर्णयों के लिए पिछले अंकेक्षण को आधार बनाना चाहिए या नहीं यह निम्न तथ्यों पर निर्भर होता है।

i. नियंत्रण का न्यून वातावरण।

ii. न्यून मौद्रिक नियंत्रण

iii. मानवीय नियंत्रण के सार्थक संकेत।

iv. प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यक्ति का बदलाव।

v. प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक बदलाव।

vi. सूचना प्रौद्योगिक की न्यूनता को दूर करना।

b) अंकेक्षण मानक 450 ''अंकेक्षण के दौरान पहचाने गये मिथ्या वर्णनों का मूल्याकंन'' के अनुसार निम्नलिखित तथ्य त्रुटि के स्त्रोतं हो सकते है।

i. समंको को एकत्रित करना एवं उसे प्रस्तुत करने में सावधानी बरतना।

ii. राशि एवं प्रकटीकरण की मूल।

iii. अनदेखी के कारण लेखांकन का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता हैं या यदि मिथ्यात्मक तथ्य प्रस्तुत किये गये हों।

iv. प्रबन्धन के सम्बन्ध में अंकेक्षक का अनुमान गलत रहा है साथ ही ठीक अंकेक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया हो।

c) अंकेक्षण मानक 505, ''बाह्य पुष्टीकरण'' अंकेक्षण द्वारा प्राप्त बाह्य पुष्टीकरण पर मानक है।

इसमें यह आवश्यकता है कि अंकेक्षण को प्रबन्ध से बातचीत करके बाह्य साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रबन्धक अंकेक्षण से यह प्रार्थना करे कि वह कुछ बाह्य पक्षकारों से पुष्टीकरण न मांगे क्योंकि उनसे विवाद हैं।

इन परिस्थितियों में अगर अंकेद्वाण प्रबन्धकों के अनुरोध से सहमत है तथ अंकेक्षण इस अनुरोध की वैद्यतातथा प्रबन्ध की एकीकृतता देखेगा इस हेतु अन्य साक्ष्य प्राप्त करेगा। अंकेक्षण प्रबन्धन से इस हेतु लिखित में अनुरोध भी प्राप्त करेगा जिससे स्पष्ट कारण लिखे हो।

अगर H लिमिटेड का अंकेक्षक द्वारा प्रबन्धन के अनुरोध को मान लिया जाता है तब अंकेक्षण प्रबन्ध के अनुरोध का प्रपरीकरण करेगा तथा अन्य प्रविधियॉ अपनाकर पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करेगा। जब इस मामले की वैधता को देखते हुए अंकेक्षण को लगता है कि यह उचित नहीं है वह अपना प्रतिवेदन संशोधित कर सकता है।

d) अंकेक्षक की नियुक्ति एवं शर्तों पर सहमति के लिए अंकेक्षण मानक 210 ''अंकेक्षण नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार करना'' के अनुसार एक अंकेक्षक यह निर्णय कर सकता है कि प्रत्येक अवधि के लिए नया नियुक्ति पत्र जारी न करे परन्तु निम्न परिस्थितियों में नया नियुक्ति पत्र जारी करना आवश्यक है।

i. यदि अंकेक्षण उद्देश्य एवं सीमा के बारे में कोई भ्रम हुआ हो।
ii. विशेष एवं संशोधित अंकेक्षण।
iii. प्रबन्धन में चल रहे बदलाव के कारण।
iv. मालिकाना में होने वाले किसी परिवर्तन के संकेत।
v. व्यवसाय के आकार एवं स्वभाव में परिवर्तन।
vi. नियम एवं परिनियम कानून में कोई बदलाव।
vii. अग्रिम खाते के निर्माण या प्रारूप में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण
viii. प्रतिवेदन में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रश्न 4.

a) 31 मार्च 2013 को Good Samaritan Bank के अंकेक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये।

i) एक खाते में पिछले 18 माह में किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गयी और बैंक द्वारा NPA के साधारण नियमों का पालन भी नहीं किया गया जाँच के दौरान पता चला कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह गारण्टी प्राप्त है। यहाँ पर NPA के नियमों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि गारण्टी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी हो तो आपका उत्तर क्या होगा। [5]

ii) बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में इस बात के संकेत है कि जीवन बीमा पालिसी के आधार पर ऋण दिये गये है। इसका अंकेक्षण करते समय क्या कार्य योजना बनायेंगे। [3]

b) सैफ बीमा कम्पनी के 31 मार्च 2013 के अंकेक्षण के दौरान यह पता चलता है कि कम्पनी ने 25 मार्च 2013 को एक बड़े कारपोरेट को बिना प्रीमियम प्राप्त किये ही अग्नि बीमा कर दिया है कम्पनी का कहना है कि अपने बड़े ग्राहकों के सम्बन्ध में वह साधारणतया इस प्रकार का व्यवहार करती है। प्रीमियम 5 अप्रैल, 2013 को प्राप्त होता है। इस दौरान यह भी पाया गया कि 31 मार्च 2013 को आग लग जाने के कारण बीमा दावा किया गया है कम्पनी ने दावे का प्रावधान किया है। इस पर अपने विचार दें। [4]

c) A लिमिटेड के कर अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण योजना बनाते समय आप उन मतो को बताइए जो यह बताए कि पुंजीगत प्राप्ति को लाभ–हानि खाते में जमा न किया हो। [4]

उत्तर

i) अगर सरकार से प्राप्त गारण्टी वाली ऋण NPA होती है तो आय के रूप में

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES ाए।

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

तथापि सम्पति की विविधीकरण हेतु तब तब उसे NPA नहीं माना जाएगा। जब तक केन्द्र सरकार गारण्टी वापस न ले ले।

क्यू कि केन्द्र सरकार द्वारा गारण्टी वापस नही ली गयी है अतः बैंक सही है कि NPA नियम यहा लागू नही होते है परन्तु आय हेतु छूट प्राप्त नहीं है। एवं प्राप्त नही हुई आय को पुनः विपरीत किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा गारण्टी देने पर परिस्थिति भिन्न होगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गारण्टी देने पर यह नियम लागू नहीं होता है तथा ऋण को NPA माना जाएगा। यदि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहता है।

यदि बैंक केन्द्रीय सरकार की गारण्टी को भंग नहीं करता है और अति देय बढ़ता है तो उसे एल.एफ.ए.आर. (LFAR) में रिपोर्ट की जायेगी।

ii) जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर दिये गये ऋण का परीक्षण निम्न तथ्य के आधार पर किया जाएगा।

i) अंकेक्षक पॉलिसी का निरीक्षण करेगा तथा देखेगा कि यह बैंक को परिक्रामित (Assigned) की गयी है।

ii) पॉलिसी का प्रीमियम नियमित दिया जा रहा है या नहीं।

iii) बीमा धारक के अभ्यार्पण मूल्य (Surrender Value) के प्रमाण पत्र परीक्षण होना चाहिए।

iv) अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अगर अभ्यार्पण मूल्य (Surrender Value) प्रीमियम के बदले है उक्त प्रीमियम की राशि को अभ्यार्पण मूल्य में से घटाया जाना चाहिए।

b) कोई भी बीमाकर्ता बीमाधन (प्रीमियम) प्राप्त किये बिना जोखिम का अनुमान नहीं लगा सकता है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB के अनुसार भारत में जोखिम का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब बीमा करने वाले को निश्चित समय, ढंग से बीमा प्रीमियम प्राप्त हो। बीमा कम्पनी बीमा

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(1) सीधे व्यवसाय से

(2) पूर्व बीमा से

(3) सह बीमा के माध्यम से प्रीमियम प्राप्त करती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम प्राप्त किये बिना बीमा कम्पनी जोखिम के भुगतान के लिए बाध्य नहीं है तथा इस हेतु प्रावधान की भी आवश्यकता नहीं है।

c) निम्न पूँजीगत प्राप्तियों को लाभ हानि खाते में जमा नहीं किया गया है तो फार्म 3CD के अनुच्छेद 13(e) में वर्णित किया जाएगा।

a) सरकार से प्राप्त पूँजी सहायता प्रर्वतक अंशदान (Promoter Contribution) के स्वभाव का होता हैं या यह उपक्रम के पूँजी सहायता का एक भाग होता है।

b) सरकारी सहायता स्थाई पूँजी के सम्बन्ध में दी जाती है तथा इस सहायता को सम्पति के सम्पूर्ण मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है।

c) अधिकार के अभ्यार्पण के बाद प्राप्त क्षतिपूर्ति।

d) स्थायी पूँजी/विनियोग के विक्रय से प्राप्त लाभ को उस सीमा तक जिसे लाभ हानि खाते में जमा नहीं किया गया है।

प्रश्न 5.

a) J लिमिटेड S लिमिटेड को क्रय करना चाहती है। S लिमिटेड का मूल्यांकन भविष्य में होने वाले व्यापार के अनुसार किया जायेगा। उस व्यक्ति के रूप मे जो S लिमिटेड के भविष्य के व्यापार का आंकलन करे आप किन तत्वों को ध्यान में रखेगे। [4]

b) X लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक अपने कम्पनी के कर्मचारियों के कार्य में संशोधन के लिए विचार कर रहे है। एक आन्तरिक अंकेक्षक के रूप में

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

आपसे चाहते है कि इस हेतु कारणों का विश्लेषण कीजिए। इस कार्य हेतु किन तत्वों को ध्यान में रखेगे। [4]

c) E एण्ड कम्पनी एक चाटर्ड एकाउन्टेंट है, आपसे चाहते है कि आप इस बात का पता लगावें CAAT's के प्रयोग से अंकेक्षक कार्यविधि में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए उन्हें सुझाव दें। [4]

d) एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अंकेक्षक के रूप में कार्य योजना बनाते समय उन तथ्यों का पता लगावें जो आवश्यक रूप से जोखिम को लेखांकन के लिए लेखाकन एवं लेने देन के सम्बन्ध में बढाती हो। [4]

उत्तर

(a) भविष्य में व्यापार के स्तर को बनाये रखने के लिए निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए:–

i) प्रकृति (Trend)– पूर्व में व्यापार में निरन्तर रूप से बढी है या उतार–चढ़ाव है इस बात का ठीक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए।

ii) बाजारीकरण (Marketability)– बाजार में होने वाले क्रिया कलाप एवं नये बाजार की सम्भावना तथा अवसरों को खोजना। प्रत्येक उत्पाद के सम्बन्ध में अध्ययन करना चाहिए।

iii) राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ (Political and Economic Consideration)– सरकार द्वारा उत्पाद के लिए विस्तार हेतु नये बाजार को प्रोत्साहन तथा आर्थिक गतिविधियों के बाधक तत्वों को दूर करना।

iv) प्रतिस्पर्धा (Competition)– उसी प्रकार के उत्पादकों की गतिविधियों का आंकलन तथा नये उत्पाद का बाजार में प्रवेश साथ ही यह भी देखना कि नये उत्पादकों से बाजार के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

b) कर्मचारियों के अत्याधिक बदलाव के लिए निम्न कारण महत्वपूर्ण है –

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

i) कर्मचारियों में तनाव तथा असंतुलन।

ii) प्रबन्धन की गलत नीतियाँ।

iii) वरिष्ठ कर्मचारियों का अपने अधिनस्थों के साथ अच्छा व्यवहार न होना।

iv) सुरक्षा के कारण।

v) पदोन्नति के सीमित अवसर।

vi) मौद्रिक लाभ का कम होना।

vi) कल्याणकारी योजनाओं का अभाव।

viii) यदि प्रबन्धन द्वारा संगठन के लिए योग्य एवं उचित व्यक्तियों का चुनाव किया जा रहा है।

ix) यदि किसी स्थान पर अधिक और कही कम कर्मचारी हो।

x) संगठन द्वारा कर्मचारी प्रशिक्षण एवं नये अवसरों का ज्ञान दिया जाना।

c) E & Co. एक चाटर्ड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा विभिन्न अंकेक्षण प्रविधियों को करने हेतु CAAT's का उपयोग किया जा रहा है निम्न को सम्मिलित करते हुए।

i) व्यवहार एवं शेष को जाँचना उदाहरण के तौर पर अंकेक्षण साफ्टवेयर का प्रयोग करके ब्याज का पुर्नगणना, बीजक को देखना एवं कम्प्यूटर रिकार्ड से मिलाकर सत्यता जांचना।

ii) विश्लेषणात्मक प्रविधियॉ (Analytical Procedure's) लगाना उदाहरण के लिये असततता पता लगाना तथा महत्तवपूर्ण परिवर्तन देखना।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

iii) सामान्य नियंत्रण जांचना, उदाहरण के लिये परिचालन प्रणाली (Operating System) की जांच करना की विधिवत है तथा प्रोगाम की लाइब्रेरी प्रक्रिया पर पंहुच तथा यह देखना की प्रोगाम उपयोग किया जा रहा है तथा प्रबन्ध द्वारा अनुमोदित है।

iv) अंकेक्षण जाँच के लिए निर्दशन संमक (Sampling) प्राप्त करना।

v) अनुप्रयोग नियंत्रण (Application Control) की जांच, उदाहरण के लिए प्रोगाम की कार्यविधि की जांच करना।

vi) संस्था के लेखांकन प्रणाली की गणनाओं की पुनः जांच करना।

(d) अर्न्तनिहित जोखिम का मूल्यांकन (Evaluating Inherent Risk):– अर्न्तनिहित जोखिम को पता लगाने के लिए अंकेक्षक को विभिन्न तत्वों हेतु पेशेवर निर्णय लेना होगा, संस्था के साथ की गयी पिछली अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान हुए अनुभव से, प्रबन्ध द्वारा अर्न्तनिहित जोखिम को कम करने के लिए अपनाये नियंत्रण तथा अंकेक्षक का कोई भी ज्ञान जिसमें पिछली अवधि से वर्तमान अवधि तक कोई भी परिवर्तन हुआ हो।

लेखा शेष एवं व्यवहार के स्तर में अर्न्तनिहित जोखिम निम्न हैः–

i) लेखांकन प्रणाली का स्तर।

ii) वित्तीय विवरण में भ्रमात्मक तथ्य होना उदाहरण स्वरूप, लेखे जियमें पूर्व अवधिक का समायोजन आवश्यक है तथा जिसमें बहुत उच्च स्तर का अनुमान निहीत है।

iii) किसी विशिष्ट व्यवहार और अन्य कार्य में जटिलता होना जिसमें किसी विशेषज्ञ के कार्य की आवश्यकता हो।

iv) लेखा शेष के निर्धारण के सम्बन्ध में निहित उचितता की मात्रा।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

v) सम्पति की हानि एवं दुरूपयोग होने की संभावना। उदाहरण के लिये सम्पति जो बहुत अधिक वांछनीय एवं गतिशील है जैस नकद।

vi) असामान्य तथा जटिल व्यवहार का पूरा होना, सामान्यतः वर्ष अन्त पर या उसके आस–पास ही।

vii) व्यवहार जो सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त हैं

प्रश्न 6.

(a) H प्राइवेट लिमिटेड ने दो बैंक प्रत्येक से 10 लाख ऋण (अधिविकर्ष) लिया है जो स्थायी जमा (FD) के आधार पर गारण्टीकृत है एवं 9 लाख रुपये एक वित्तीय संस्थान से अधिविकर्ष के रूप में लिये गये। यह ऋण 31 मार्च 2013 तक अदत्त है। इस तिथि को प्रदत्त पूँजी एवं संचय 40 लाख है जबकि कम्पनी का वार्षिक आर्वत (Turnover) 31 मार्च 2013 तक 3 करोड़ है। कम्पनी के प्रबन्धन का मत है कि AROO3 इस पर लागू नहीं होगा क्योंकि आवर्त प्रदत्न दी गई सीमा के अन्दर है कम्पनी तथा स्थायी जमा के विरूद्ध लिया गया ऋण मान्य नहीं होगा। कम्पनी का यह भी मत है कि ऋण सीमा प्रत्येक बैंक एवं वित्तीय संस्था की अलग–अलग गणना की जाती इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। टिप्पणी किजिए। [4]

b) XYZ लिमिटेड के मुख्य व्यवहार (Significant Operation) विदेश मे होते है। उस देश में सामाजिक, नागरिक एवं राजनैतिक अस्थिरता के कारण रहतिये एवं स्थायी सम्पत्ति भौतिक सत्यापन, जाँच सम्भव नहीं हो पा रही है। अंकेक्षक अन्य प्रविधियों से साक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। कम्पनी के कुल परिसम्पत्ति का 80 प्रतिशत स्थायी सम्पत्ति एवं सामग्री में है। XYZ लिमिटेड रूप में आप प्रतिवेदन देने के लिए किन तथ्यों को स्वीकार करेंगे।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

एक उचित रिपोर्ट तैयार कीजिए जिसको मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। (CARO D3 के अन्तर्गत प्रतिवेदन ध्यान में नही रखना है) [4]

c) R लिमिटेड 31 मार्च 2013 को एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त ऋण के ब्याज एवं मूलधन के भुगतान में चुक करती है। इसका भुगतान तिथि 28 फरवरी, 2013 थी तथापि इस चुक राशि का भुगतान 5 अप्रैल 2013 को किया गया। कम्पनी प्रबन्धन का मत है कि चुक को अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने से पूर्व सही कर दिया गया है अतः इसको की दृष्टि में यह सही है क्योंकि अंकेक्षण कार्य पूरा होना शेष है। इसको CAR0-03 में रिपोर्ट नही करना है। टिप्पणी कीजिए। [4]

उत्तर

a) एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को CAR0-03 में निम्न दशाओं में छूट प्राप्त है।

i) यदि अंश प्रदत्त पूँजी एवं संचय रू. 50 लाख और कम है।

ii) किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से लिया गया बकाया ऋण रू. 25 लाख और कम है।

iii) कम्पनी का आवर्त (Turnover) 5 करोड़ से अधिक नहीं है।

H प्राइवेट लिमिटेड की दशा, में उसकी प्रदत्त पूँजी 50 लाख से कम है, आवर्त्त 5 करोड़ से कम है। परन्तु कम्पनी का अदत्त ऋण जो बैंक एवं वित्तीय संस्थान से लिया गया है 29 लाख रूपये है। स्थायी जमा के विरूद्ध लिया गया ऋण अदत्त ऋण की गणना करते समय ध्यान में रखा जायेगा। 25 लाख की सीमा ज्ञात करते समय सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थान से लिया गया ऋण एक साथ ध्यान में रखा जायेगा। अतः कम्पनी का तर्क सही नहीं है।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

यहॉ H प्राइवेट लिमिटेड सभी शर्तो को पूरा नहीं करती है। अतः CAR0 2003 लागू होगा।

b) अंकेक्षण मानक–501 ''चुनी हुए मदों के लिए विशिष्ट आवश्यकताऐं'' के अनुसार अगर रहतिये का भौतिक सत्यापन अव्यवाहारिक होता है, अंकेक्षक द्वार रहतिये की स्थिति एवं उपलब्धता के सम्बन्ध में वैकल्पिक अंकेक्षण प्रविधियों को अपना रहतिये के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने चाहिये। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अंकेक्षक को प्रतिवेदन (Report) अंकेक्षण मानक–705 के अनुसार संशोधित करनी होगी। दी गई परिस्थिती में अंकेक्षक को अपना प्रतिवेदन संशोधित करना होगा।

अंकेक्षण प्रतिवेदन दायित्व हेतु निम्न तत्वों को ध्यान में रखा जायेगाः–

i) वित्तीय विवरण में सामग्री एवं स्थायी सम्पत्ति सारवान है।

ii) अंकेक्षक रहतिये एवं सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है अन्य शब्दों में विदेश राज्य में जहॉ उक्त सम्पत्ति एवं रहतिया स्थित है अस्थिरता के कारण भौतिक सत्यापन अव्यवाहारिक हो गया है क्यूकि अंकेक्षक के सुरक्षा का खतरा है।

iii) अंकेक्षक वैकल्पिक प्रविधियों का प्रयोग करके उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है।

उचित रिपोर्ट का प्रारूप जिसे मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा–

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्था द्वारा जारी अंकेक्षक एवं मानको के अनुसार हमारी जिम्मेदारी है कि हम वित्तीय विवरण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करें। परन्तु क्युंकि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हम कोई भी राय देने में असमर्थ है। इस देश में नागरिक एवं

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

नहीं है। हम वहाँ अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किये गये थे। सुरक्षा कारण से वैकल्पिक विधि का प्रयोग भी सम्भव नहीं है अतः सामग्री एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई मत देना सम्भव नहीं है। कम्पनी के 31 मार्च 20XX को रहतिये की मात्रा एवं स्थायी सम्पति की स्थिति को लेकर हम अन्य वैकल्पिक रूप से अपने आप को संतुष्ट करने में असमर्थ है जो चिट्ठे मे क्रमशः रूपये XXX एंव रूपये XXX है।

राय का खण्डन रिपोर्ट –

क्योंकि राय का खण्डन के आधार में वर्णित कारणों के कारण हम उचित एवं पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ जिससे हम राय व्यक्त कर सकते है अतः हम वित्तीय विवरण पर कोई भी राय प्रकट नहीं कर पा रहे है।

अन्य कानूनी एवं नियमन आवश्यकता पर रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(3) के अनुसार आवश्यक है कि रिपोर्ट करेः जैसे राय के खण्डन के आधार में वर्णित किया गया है। हम हमारे अच्छे ज्ञान में उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण को प्राप्त करने में असमर्थ है जो अंकेक्षण के उद्देश्य के लिये आवश्यक है।

c) CARO-2003 के पैरा 4 (xi) के अनुसार अंकेक्षक को अपने रिपोर्ट में यह बताना आवश्यक है कि कम्पनी द्वारा बैंक, वित्तीय संस्थान या अपने लेनदारों के भुगतान करने में कोई चूक नही रही है एवं चूक रही है तो अंकेक्षक को समय तथा राशि का पूरा विवरण प्रतिवेदन में देना आवश्यक है।

R लिमिटेड की दशा में कम्पनी ने 28 फरवरी 2013 को अपने ऋण की मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में चूक की। चूकिं R लिमिटेड ने मूलधन तथा ब्याज भुगतान में चूक की है अतः अंकेक्षक यह रिपोर्ट करेगा की कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थान को किये जाने वाले भुगतान में चूक की है। चूक की

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

रिपोर्ट का प्रारूप (Draft Report)–

कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थान को देय मूलधन एवं ब्याज की राशि ..... के भुगतान में चूक की गयी है जो 28 फरवरी 2013 को देय थी। चुक की अवधि 35 दिन है।

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर टिप्पणी लिखे –

a) केन्द्रीय सहकारी समिति द्वारा अपने कोष के विनियोग करने पर प्रतिबन्ध। [4]

b) विवरण के आधार पर कठिनाई की समीक्षा करते हुए नियम, परम्परा एवं तकनीक का प्रयोग। [4]

c) पिछली अवधि के संमक [4]

d) स्थायी एकत्रित समायोजन। [4]

e) अस्थिरता लाभार्जन (Volatility Margin)। [4]

उत्तर

a) केन्द्रीय नियम, सहकारी समिति के विनियोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। धारा–32 के अनुसार केन्द्रीय सहकारी समिति अपने कोष का विनियोग निम्न में किसी एक या अधिक में कर सकती है।

a) केन्द्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक में।

b) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम,1882 की धारा 20 में विर्निदिष्ट किसी प्रतिभूति में।

c) किसी भी सीमित दायित्व वाली अन्य समिति के अंश एवं ऋण पत्रों एवं प्रतिभूति में।

d) किसी भी सहकारी बैंक में जो केन्द्र या राज्य सहकारी बैंक नहीं तथा जिसे रजिस्ट्रार द्वारा विशिष्ट शर्तो पर मान्यता दी गयी है।

e) किसी भी मौद्रिक वस्तु में जो केन्द्र सरकार एवं राज्य से स्वीकृत हो।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

सहकारी समिति द्वारा विनियोगो से सम्बन्धित मुख्य प्रावधानों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य अधिनियम व्यवसाय के बाहर विनियोग पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।

b) **तकनीकी, पेशेवर एवं नीतिगत मानको का तात्पर्यः**

कठिनाई के समाधान हेतु तकनीक, नियमों एवं परम्पराओं का पालन।

i) ICAI द्वारा जारी किया गया लेखांकन मानक एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित।

ii) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट संस्था द्वारा निर्धारित एवं जारी किये गये मानकः

a) कार्यरत मानक।

b) विवरण

c) निर्देशन नोट

d) आन्तरिक अंकेक्षण मानक

e) गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक

f) काउन्सिल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, अधिसूचना, सूचना।

iii) भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेंट संस्था द्वारा समय–समय पर जारी अंकेक्षण मानक, स्पष्टीकरण, सूचनाऐ आदि।

iv) कार्य के सम्बन्ध में आश्वासन हेतु नियामक संस्था द्वारा जारी किये गये नियमों निर्देश का पालन।

c) **पिछली अवधि के संमक (**Corresponding Figures) जब चालू वर्ष में पिछली अवधि के संमक भाग के रूप में अथवा चालू राशि व प्रकटीकरण के साथ पढ़े जाते है तुलनात्मक सूचनाये आवश्यक है ये पिछली अवधि के संमक पूर्ण रूप से वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाते है परन्तु ये संमक चालू वर्ष के वित्तीय विवरण का भाग होते हैं।

i) वित्तीय विवरण में दिये गये वर्तमान सूचना का उदाहरण स्वरूप राशि

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON [WhatsApp] BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON [WhatsApp] AT +919831144427

PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

d) **स्थायी एकत्रित समायोजन** – स्थायी एकत्रित समायोजन वे समायोजन होते है जो प्रथम बार एकत्रित वित्तीय विवरण बनाते एवं प्रस्तुत करते समय किये जाते है। ये निम्न है:–

a) उस तिथि को जब सहायक कम्पनी में विनियोग किया गया है उस स्थिति से किये गये मुख्य विनियोग में हुई वृद्धि एवं कमी को ज्ञात करना (ख्याति अथवा पूँजी संचय ज्ञात करना)।

b) समता की वह राशि ज्ञात करना जो विनियोग तिथि पर अल्पसंख्यक को प्रदान की गयी।

c) एकत्रित वित्तीय विवरण में सहायक (Associates) में विनियोग को समता विधि द्वारा ख्याति अथवा पूँजी संचय की राशि का पता लगाना।

e) **अस्थिरता लार्भाजन (**Volatility Margin**):**– अस्थिरता लाभार्जन बाजार में अत्यधिक अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिये और अत्यधिक बकाया पद के निर्माण के लिये एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिये है।

जब प्रतिभूमियां पूर्व लाभ में कारोबार कर रही है तब बोनस, अधिकार विलय, एकीकरण और कीमत में समायोजन के कारण कीमत मे विविधता एवं अस्थिरता की गणना के प्रवचन के लिये किया जाता है। अनुप्रयोग प्रतिभूति जो अस्थिरता लाभ को प्रमाणित करती है तथा व्यापार प्रक्रिया के अंतिम दिन लाभ दर घोषित की जाती है तथा यह अगली व्यापार प्रक्रिया के प्रथम दिन से लागू हो जाती है।

अस्थिरता लाभांश प्रत्येक प्रतिभूति के सदस्य की अदत्त स्थिति पर लागू होता है जो लाभ दर पर आधारित है।

तार चढ़ाव की सीमान्तकता को नियंत्रित करना। बाजार की अदेयता को बढ़ने से रोकना।

मूल्य उच्चावचन, आवेदन, बोनस, अधिकार, एकत्रिकरण, पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में योजनाओं का बनाना।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

उच्चावचन तथा व्यापार चक्रों की स्थिति की गणना तथा व्यापार में उसके प्रभावों का पता लगाना तथा उससे निपटना भी महत्वपूर्ण कार्य है।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India